न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बारां

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या – 10 /2022 . (Bank Case)

ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर,–302019 राज. एवं पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्नई– 600002, तमिलनाडू,

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री गोविन्द कुमार नायक पुत्र श्री देवलाल, **(ऋणी– बंधककर्ता)**
पताः– 45, कुम्हारो का मौहल्ला, फूँसरा, तह. बारां जिला बारा (राज.)–325205

5. श्रीमती नीलू बाई पत्नि गोविन्द कुमार नायक, **(सह–ऋणी)**
पताः– 45, कुम्हारो का मौहल्ला, फूँसरा, तह. बारां जिला बारा (राज.)–325205

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री हितेन्द्र सिंह हाडा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 9/5/22

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर,–302019 राज. एवं पंजीकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई चैन्नई– 600002, तमिलनाडू जरिये प्राधिकृत अधिकारी, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 28.01.2019 को 3,50,000/– रूपये (अक्षरे तीन लाख पचास हजार रूपये) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप म रिहायसी अचल सम्पत्ति **श्रीमती नीलू बाई पत्नि गोविन्द कुमार नायक की सम्पत्ति पट्टा नं. 2719, संकल्प नं. 01, खसरा नं. 535, ग्राम फूँसरा ग्राम पंचायत फूँसरा पंचायत समिति बारां, जिला बारां राज0– 325205, जिसका कुल क्षेत्रफल 2024 वर्गफीट/224.88 वर्गगज है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय [illegible] द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 09.12.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्र[illegible] द्वारा [illegible] 3,75,064/– (अक्षरे तीन लाख पिचहत्तर हजार चौसठ रूपये) [illegible] 03.01.2020 तक शेष देय है व दिनांक 04.01.2020 से आगे का ब्याज [illegible] आदि सहित पूर्णभुग[illegible]करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था [illegible] बैंक के अधिकृत हस्ता[illegible] के दिनांक 10.01.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested

डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने बैंक के अधिकृत हस्तरक्षाकर्ता के दिनांक 10.01.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, तथा उक्त नोटिस को दो मुख्य अखबार क्रमशः हिन्दी में "बिजनेस स्टेंडर्ड" में दिनांक 03.06.2020 व अंग्रेजी में " बिजनेस स्टेंडर्ड" में दिनांक 03.06.2020 को प्रकाशित करवाया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने बैंक के अधिकृत हस्तरक्षाकर्ता के दिनांक 10.01.2020 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 17.01.2020 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्रीमती नीलू बाई पत्नि गोविन्द कुमार नायक की सम्पत्ति पट्टा नं. 2719, संकल्प नं. 01, खसरा नं. 535, ग्राम फूँसरा ग्राम पंचायत फूँसरा पंचायत समिति बारां, जिला बारां राज0– 325205, जिसका कुल क्षेत्रफल 2024 वर्गफीट/224.88 वर्गगज है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक बारां को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 3/5/22 को सुनाया गया ।

जिला कलैक्टर न्यायालय बारां (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.13 12:18:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट
बारां